TWENTY RUPEES
TWENTY RUPEES

CANCELLED

(1)

213

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, जबलपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षण कमांक : /2014-15
R-2794-II/14

पुनरीक्षणकर्ता : जफर खान आत्मज स्व0 श्री सुलेमान खान उम्र करीब 39 वर्ष निवासी-2028, गनेशगंज रांझी तहसील व जिला-जबलपुर (म.प्र.)

वि रू द्ध

उत्तरवादी : मध्य प्रदेश शासन द्वारा-कलेक्टर जबलपुर.

11 AUG 2014

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक, न्यायालय कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 03/पुनरीक्षण/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 से दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 12.10.2010 को रजिस्टर्ड विकय-पत्र के माध्यम से ग्राम कसही नंबर बंदोबस्त 548, पटवारी हल्का नं0 15 राजस्व निरीक्षक मण्डल महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित खसरा नं0 287/1 रकबा 0.78 हैक्टयर में से 0.400 हेक्टयर यानि एक एकड़ भूमि खेतचरण उर्फ अमर कुमार एवं अन्य से कय की थी। तभी से पुनरीक्षणकर्ता उक्त सम्पत्ति का मालिक स्वामी दर्ज चला आ रहा है एवं समस्त राजस्व अभिलेखों में पुनरीक्षणकर्ता का नाम मालिक-स्वामी की हैसियत से दर्ज है।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जमीन कय करने से पूर्व खेमचरण उर्फ अमर कुमार प्रजापति द्वारा बताया गया था कि उक्त भूमि उनके द्वारा डॉ0 एम.ए.कुरैशी पिता इस्माईल कुरैशी निवासी-नया मोहल्ला जबलपुर वाले से कय की है और कय करने के पश्चात् से ही उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था और बही की प्रति भी दिखाई थी। उक्त समस्त दस्तावेजों को देखने के पश्चात् ही खेमचरण उर्फ अमर कुमार प्रजापति के द्वारा उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित कराया था।

कमशः----2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 2794-दो/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 3/2013-14/पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 01-8-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर के आलोच्य आदेश के विरूद्ध 2 निगरानियां कमांक 3118-दो/14 एवं 3585-दो/14 रागिनी जैन एवं योगेश रघुवंशी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई थीं जिनका निराकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7-8-15 को किया जाकर दोनों निगरानियां स्वीकार की गई हैं तथा कलेक्टर का आलोच्य आदेश दिनांक 1-8-14 निरस्त किया गया है । यह कहा गया है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य उक्त प्रकरणों के समान ही हैं, इस कारण रागिनी जैन एवं योगेश रघुवंशी के प्रकरणों में पारित आदेशों के अनुसार इस प्रकरण में भी आदेश पारित किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये । 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर द्वारा 4 व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । इनमें से 2 व्यक्तियों द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानियों में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7-8-15 को आदेश पारित किया जाकर उनकी निगरानियां स्वीकार करते हुए कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया है । चूंकि इस प्रकरण के तथ्य भी उक्त प्रकरणों के ही समान हैं, अतः यह निगरानी भी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर का	

प्र0 क्र0 निगरानी 2794-दो/14 (जफर खां विरूद्ध शासन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश आवेदक के संबंध में भी निरस्त किया जाता है । तहसीलदार तद्नुसार आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित करे । 5/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	